उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ

संख्या-68/2016-वे0आ0-2-1436/दस-2016-14/2013

लखनऊ : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016

दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'ख' संवर्ग सेवा-नियमावली, 2016' की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुखकार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
6- सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- विशेष कार्याधिकारी (मीडिया) मा0 मुख्यमंत्री जी।
10- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11- वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अजय अग्रवाल

सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 68/2016-Va.Aa.-2-1436/Dus-2016-14/2013, dated 26 December, 2016

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
VITT VETANMAN (NIYAMAWALI AND VIDHI) PRAKOSTHA
NOTIFICATION
Miscellaneous
No-68/2016-Va.Aa.-2-1436/Dus-2016-14/2013
Dated Lucknow, 26 December, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Government Department Electronic Data Processing (Group 'B') Cadre Service:

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT ELECTRONIC DATA PROCESSING (GROUP 'B') CADRE SERVICE RULES, 2016

PART-I- GENERAL

Short title and commencement	**1. (1)** These rules may be Called 'The Uttar Pradesh Government Department Electronic Data Processing (Group 'B') Cadre Service Rules, 2016. **(2)** They shall come into force at once
Status of the service	**2.** The Electronic Data Processing (Group 'B') Cadre in a Government Department comprises of Group 'B' posts.
Application of these rules	**3.** These rules shall apply to the posts of Electronic Data Processing (Group 'B') Cadre in a Government Department under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, excluding the Uttar Pradesh Secretariat, of the offices of the State Legislature, Lok Ayukta, Public Service Commission, High Court, the Subordinate Courts under the control and superintendence of the High Court, the Advocate General , Uttar Pradesh and the establishments under the control of Advocate General.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Overriding effect	**4.** These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.
Definitions	**5.** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: **(a)** 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994; **(b)** 'appointing authority' means an authority empowered to make appointment to Group 'B' post of the Electronic Data Processing(EDP) Cadre Service in a Government Department under relevant service rules or executive instructions, as the case may be; **(c)** 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution; **(d)** 'Commission' means the Public Service Commission, Uttar Pradesh; **(e)** 'Constitution' means the Constitution of India; **(f)** 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh; **(g)** 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh; **(h)** 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service; **(i)** 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time; **(j)** 'Service' means 'The Uttar Pradesh Government Department Electronic Data Processing (Group 'B') Cadre Service; **(k)** 'substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and , if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; **(l)** 'year of recruitment' means a period of twelve months

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	commencing on the first day of July of a calendar year.
PART- II - CADRE	
Cadre of service	**6. (1)** The strength of the service in a Government Department shall be such as may be determined by the Government from time to time. **(2)** The strength of the service in a Government Department shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Government Orders issued by the concerned Administrative Department in accordance with the decisions contained in the Government Order No. Va.Aa-2-2058/Ten-54(M)/2008T.C., Dated September 08, 2010 and the Government Order No.15/2015/Va. Aa.-2-270/Ten-54(M)/ 2010 T.C., Dated April 08, 2015 : Provided that :- **(i)** the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or **(ii)** the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.
PART-III- RECRUITMENT	
Source of recruitment	**7.** Recruitment to the post of Programmer Grade-2 in the service shall be made from the following sources: (i) 50% by direct recruitment through the Commission. (ii) 50% by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Computer Operators Grade-'C' who have completed six years service as such on the first day of the year of recruitment .
Reservation	**8.** Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act,1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.
PART-IV - QUALIFICATIONS	
Nationality	**9.** A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(a) a citizen of India; or **(b)** a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or **(c)** a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India: Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government: Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh: Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship. **NOTE-** A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.
Academic qualification	**10.** A candidate for direct recruitment to the post of Programmer Grade-2 in the Service must possess the following qualifications: **(i)** Bachelor's degree from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto. **(ii)** Post graduate Diploma in Computer Science from a recognised Institute / University; or 'A' level Certificate from the Department of Electronics (D.O.E.), Government of India. **(iii)** Good knowledge of Software development like C/C- Fox Pro, RDVMS as Oracle/Ingress/Sybase, DB/Z etc. in DOS/ Unix/ Windows environment. **(iv)** Exposure to environment of any Networking Operative

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	System. **(v)** Complete knowledge of Office Automation Packages and Internet.
Preferential qualification	**11.** A candidate who has: (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or (ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.
Age	**12**. A candidate of direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised : Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.
Character	**13.** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. **NOTE -** Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
Marital Status	**14.** A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service: Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
Physical fitness	**15.** No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand - Book, Volume II, Part-III: Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.
PART -V - PROCEDURE FOR RECRUITMENT	
Determination of vacancies	**16.** The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 8.
Procedure for direct recruitment through the Commission	**17. (1)** Application for permission to appear in the Competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the commission. **(2)** No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission. **(3)** After the results of the written examination have been received and tabulated , the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 8, prepare a list of candidates who have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. **(4)**The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service . The Commission shall forward the list to the appointing authority.
Procedure for recruitment by promotion through the Commission	**18.** Recruitment by promotion to the post of Programmer Grade-2 shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Combined select list	**19.** If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.
PART-VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY	
Appointment	**20. (1)** Subject to the provisions of sub-rule (2),the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 17, 18 or 19 as the case may be. **(2)** Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 19. **(3)** If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 19.
Probation	**21. (1)** A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013. **(2)** If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. **(3)** A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation. **(4)** The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td></td><td>included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.</td></tr>
<tr><td>Confirmation</td><td>22. (1) Subject to the provisions of sub-rule(2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-
(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,
(b) his integrity is certified, and
(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.
(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991 confirmation is not necessary, the order under sub-rule(3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.</td></tr>
<tr><td>Seniority</td><td>23. The seniority of persons substantively appointed to the posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.</td></tr>
<tr><td colspan="2">PART-VII - PAY ETC.</td></tr>
<tr><td>Scale of pay</td><td>24.(1) The scale of pay admissible to persons appointed to post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is given as follows :
<table>
<tr><th>Name of post</th><th>Scale of pay</th></tr>
<tr><td>Programmer Grade -2</td><td>P.B.-2(Rs. 9300-34800)
Grade Pay- Rs. 4600/-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pay during probation</td><td>25. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:
Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	count for increment unless the appointing authority directs otherwise. **(2)** The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules: Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. **(3)** The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
PART-VIII- OTHER PROVISIONS	
Canvassing	**26.** No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
Regulation of other matters	**27.** In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
Relaxation form the conditions of service	**28.** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order , dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner: Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Savings	**29.** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,

AJAY AGARWAL
Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त विभाग

वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ

संख्या-68/2016-वे0आ0-2-1436/दस-2016-14/2013

लखनऊ : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'ख' संवर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'ख' संवर्ग सेवा नियमावली, 2016

भाग-एक-सामान्य	
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'ख' संवर्ग सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2. उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'ख' संवर्ग सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।
नियमावली का लागू होना	3. यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियत्रण और पर्यवेक्षणाधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश और महाधिवक्ता के नियंत्रणाधीन अधिष्ठानों के कार्यालयों को छोडकर, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'ख' संवर्ग के पदों पर लागू होगी।
अध्यारोही प्रभाव	4. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।
परिभाषायें	5. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :-- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्ग के लिये आरक्षण)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अधिनियम, 1994 से है; (ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग में, यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (ई0डी0पी0) संवर्ग सेवा के समूह 'ख' के पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है; (ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये; (घ) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है; (ड.) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है; (च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; (छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; (ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; (झ) 'नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विर्निदिष्ट नागरिकों के पिछडे वर्गो से है; (ञ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'ख' संवर्ग सेवा से है; (ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; (ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;
भाग-दो-संवर्ग	
सेवा का संवर्ग	6-(1) किसी सरकारी विभाग में सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए। (2) जब तक कि उप नियम(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2058/ दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 और शासनादेश संख्या-15/2015/वे0आ0-2-270/दस-54(एम)/2010 टी0सी0, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 में अन्तर्विष्ट विनिश्चयों के अनुसरण में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेशों में दी गयी है ; परन्तु यह कि - (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या (ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।
भाग-तीन-भर्ती	
भर्ती का स्रोत	7- सेवा में प्रोग्रामर श्रेणी-2 के पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी : (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी 'ग' में से जिन्होंने इस रुप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
आरक्षण	8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
भाग-चार-अर्हतायें	
राष्ट्रीयता	9. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी: (क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो; या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो: परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया होः परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेः परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष की अवधि से परे सेवा में बने रहना उसके भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अध्याधीन होगा। **<u>टिप्पणीः-</u>** ऐसा अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वो न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।
शैक्षिक अर्हता	10. सेवा में प्रोग्रामर श्रेणी-2 पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं होनी आवश्यक हैः- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; अथवा इलेक्ट्रानिक्स विभाग (डी0ओ0ई0), भारत सरकार से 'ए' लेवल प्रमाण पत्र। (तीन) डी ओ एस/यूनिक्स/विन्डोज इनवायरोनमेन्ट में ओरेकल/इनग्रेस/सायबेस, डी बी/जेड आदि के रूप में सी/सी-फोक्स प्रो, आर डी वी एम एस जैसे साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट का अच्छा ज्ञान। (चार) किसी नेटवर्किग आपरेटिव प्रणाली के इनवायरोनमेन्ट से सुपरिचित होना। (पॉच) आफिस आटोमेशन पैकेजेज और इन्टरनेट का सम्पूर्ण ज्ञान।
अधिमानी अर्हता	11. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने - (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
आयु	12. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की होः परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी

http://shasanadesh.up.nic.in

	विनिर्दिष्ट की जाय।
चरित्र	13. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा। **<u>टिप्पणी:-</u>** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	14. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो: परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
शारीरिक स्वस्थता	15. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें: परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
भाग-पॉच-भर्ती की प्रक्रिया	
रिक्तियों का अवधारण	16. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा। आयोग द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जायेगा।
आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया	17.(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	जायेगा जब कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश का प्रमाण-पत्र न हो। (3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुचें हों। (4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग सेवा में उनकी सामान्य उपयुक्ता के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में उनके नामों को व्यवस्थित करेगा। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसरित करेगा।
आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	18. प्रोग्रामर श्रेणी-2 के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।
संयुक्त चयन सूची	19. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेगें कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।
	भाग-छः नियुक्ति,परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता
नियुक्ति	20.(1) उप-नियम(2) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-17, 18 या 19 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियॉ करेगा। (2) जहॉ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॉ, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो वहॉ नियमित नियुक्तियॉ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम-19 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाये। (3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा चयन में अवधारित किया जाय।
परिवीक्षा	21.(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं उपनियम (2) के अधीन समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रुप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
स्थायीकरण	22.(1) उपनियम (2) के उपबन्धो के अध्याधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि- (क)उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, (ख)उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और (ग)नियुक्ति प्राधिकारी का यह सामाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है। (2)जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवको की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धो के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नही है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
ज्येष्ठता	23. सेवा में मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।
भाग-सात वेतन आदि	
वेतनमान	24.(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं: **पद का नाम** — **वेतनमान** प्रोग्रामर श्रेणी-2 — वेतन बैण्ड-2(रु0 9300-34800) ग्रेड वेतन-रु0 4600/-
परिवीक्षा अवधि में वेतन	25.(1) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो,

http://shasanadesh.up.nic.in

	समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहॉ विहित हो विभागीय परीक्षा, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो: परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। (2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा था, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा: परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। (3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।
भाग-आठ अन्य उपबन्ध	
पक्ष समर्थन	26. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
सेवा की शर्तो से शिथिलता	28. जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है: परन्तु यह कि जहॉ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	हो वहॉ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।
व्यावृत्ति	29. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
अजय अग्रवाल
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।